

IS 15700-2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अंगूरीबाग, अयोध्या



पत्र सं०-

दिनांक-

सेवा में,

पंजीकृत डाक द्वारा

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी पता-

जिला- पिन

विषय:- परिषद की भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना (ग्रीन फील्ड टॉउनशिप), अयोध्या, फेज-01 स्थित
आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन संख्या- के आवंटन के सम्बन्ध में।
महोदय,

आपके पंजीकरण सं० के विरुद्ध दिनांक को हुये लाट्री द्वारा परिषद की भूमि विकास, गृहस्थान
एवं बाजार योजना (ग्रीन फील्ड टॉउनशिप), अयोध्या, फेज-01 में आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन
संख्या-.....नागद/किश्त क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आवंटित किया गया है। अतः उक्त भवन
संख्या..... का प्रदेशन पत्र आपके पक्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है जिसका विवरण निम्नवत्
है :-

2. भवन संख्या का क्षेत्रफल वर्ग मी०

(क) निर्माण मूल्य	रु०	
(ख) भूखण्ड का मूल्य	रु०	
कार्नेर% अतिरिक्त मूल्य	रु०	
योग :-	रु०	
- 2 जमा पंजीकरण धनराशि रु०
- 3 नकद क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि (1 - 2) रु०
- 4 प्रथम किश्त के साथ एक मुश्त ...% देय धनराशि रु०
- 5 रु० 100 के गुणांक में रु०
- 6 अवशेष धनराशि रु०पर @ ...%
ब्याज के साथ बनाई गई ... मासिक किश्त रु०
- 7 दिनांकतक जमा योग्य
कुल धनराशि (4+5+6) रु०
- 8 मासिक किश्तों की संख्या
विविध शुल्क :-

(क) विलेख निष्पादन व्यय	रु०	
(ख) साइट प्लान शुल्क	रु०	
(ग) विज्ञापन व्यय%	रु०	
(घ) पुरितका	रु०	
9. दिनांक तक जमा योग्य कुल धनराशि रु०
10. किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने पर% की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
11. उपरोक्त विवरण के विन्दु 07 तथा विन्दु सं० 09 में अंकित धनराशि शाखा में परिषद के वसूली
खाता संख्या व आई०एफ०ए०सी० कोड में दिनांकतक जमा करनी होगी। धनराशि
जमा न करने पर आवंटनी को 15-15 दिन पर
02 नोटिस देने के बाद भी यदि धनराशि जमा नहीं होती है तो परिषद नियमानुसार आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 16 जी०ए०सी० की देयता होने पर जी०ए०सी० का भुगतान अतिरिक्त देय होगा।
- 17 भवन के मूल्य का पूर्ण भुगतान माह (... दिन) के अन्दर करने पर ...% की छूट देय होगी।

(मुकेश पाल)
सम्पत्ति प्रबन्धक